

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी  
(जिला विधि प्रशाखा)

अभियोजन स्वीकृत्यादेश:-

मधुबन थाना काण्ड सं०-06/15, दिनांक-12.01.2015, धारा-448/307/504/506  
मा०६०वि० एवं 25(1-B)A/26 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त संतोष सिंह पिता-राधाकान्त सिंह,  
साकिन दुबहा, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, पूर्वी  
चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 2937/अप०शा० (विविध), दिनांक 06.07.2018 से प्राप्त प्रस्ताव तथा उसके  
साथ संलग्न पु०अ०नि०, मधुबन थाना के प्रतिवेदन दिनांक 29.06.2018 एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,  
पकडौदयाल के पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 478, दिनांक 30.04.2015 का अवलोकन किया। पुलिस प्रतिवेदन  
के साथ संलग्न प्राथमिकी एवं साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध  
अभियोजन स्वीकृति हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः मैं रमण कुमार, मा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण शस्त्र अधिनियम  
की धारा-39 में प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-25(1-B)A/26  
आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।  
मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर के साथ जारी किया गया है।

हो  
(रमण कुमार)  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक:- / विधि, दिनांक:-


प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / थानाध्यक्ष, मधुबन को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ज्ञापांक:- 2061 / विधि, दिनांक:- 2/8/18

प्रतिलिपि:- जिला अभियोजन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

हो  
(रमण कुमार)  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

  
(रमण कुमार) 6.8.18  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी